



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228394
CG-DL-E-20072021-228394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/आषाढ़ 29, 1943

No. 200]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

मामला सं. (ए डी एस एस आर) 27/2020

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “बेरियम कार्बोनेट” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/46/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां “नियमावली” भी कहा गया है) के संबंध में, मै. अमरावती कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स प्रा.लि.; मै. कडापा बेरियम साल्ट्स, राहुल बेरियम कैमिकल्स प्रा. लिमि. एवं मै. श्री पवन कैमिकल्स एंड मिनरल्स (जिसे यहां याचिकाकर्ता या आवेदक अथवा घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट (जिसे यहां संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां

प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार याचिका में दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच आयोजित करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य अंतर्निहित हैं।

2. मूल जांच 16 जून, 2009 को आरंभ की गई थी और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क दिनांक 23 मार्च, 2010 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 37/2010 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किए गए थे। प्राधिकारी ने दिनांक 10 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना सं. 14/18/2009-डीजीएडी के अनुसार अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे जिनकी दिनांक 07 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. 6/2011-सीमाशुल्क के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा पुष्टि की गई थी। इसके अलावा, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के आयातों पर दिनांक 23 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 15/27/2014-डीजीएडी के अनुसार पहली निर्णायक समीक्षा जांच के बाद अंतिम जांच परिणाम जारी किए। इनकी दिनांक 21 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 14/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा पुष्टि की गई। उक्त शुल्क पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किए गए थे और दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को समाप्त होने थे। प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, वित्त मंत्रालय द्वारा इसे दिनांक 15 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना सं. 22/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार 20 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया।
3. अधिनियम की धारा 9 क (5) की शर्तों में लागू किया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि समय पूर्व रद्द न कर दिया जाए, ऐसे लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों के समाप्त होने पर प्रभावी होना समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा इस बात की समीक्षा किया जाना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। इसके अनुसरण में, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा किया जाना जरूरी है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।
4. नियमावली के नियम 23 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसरण में घरेलू उद्योग की ओर से दायर याचिका में दिए गए संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति और परिणामी क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, इस बात की जांच करने के लिए कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 2 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 7/46/2020-डीजीटीआर के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ की।

ख. प्रक्रिया

5. प्रक्रिया, जैसा कि यहां नीचे वर्णन किया गया है, का जांच के संबंध में अनुसरण किया गया है:-
 - क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसरण में, वर्तमान जांच को आरंभ करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार को सूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 7/46/2020-डीजीटीआर, दिनांक 2 मार्च, 2021 के अनुसार एक पब्लिक नोटिस जारी किया।
 - ग. ए डी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता संघों और घरेलू उद्योग को पब्लिक नोटिस की प्रति भेजी और उनसे पत्र को जारी करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने विचारों/अनुरोधों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा को 05 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया।
 - घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में, भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात निर्यातकों को आवेदकों द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।

- ड. भारत के संबद्ध देश के दूतावास से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का भी अनुरोध किया गया। उन्हें संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों सहित उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी भेजी गई।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी :-
- i. मै. क्विंगडाओ राइजिंग इंटेल कं. लि.
 - ii. मै. हुनान मिंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.
 - iii. मै. गुईझोऊ रेडस्टार डेवलपिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.
 - iv. मै. हुनान मैक. मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंप.एंड एक्सप. कॉर्प.
 - v. मै. हांगकांग, जियांगजियू इंडस्ट्रीयल कं. लि.
 - vi. मै. तियानजिन पोर्ट फ्री ट्रेड जोन एंड शांगशुन इंटर. ट्रेड कं.
 - vii. मै. चाइना हुबेई जिंगशान चूटेन बेरियम
 - viii. मै. चाइना हाओहुआ कैमिकल इंडस्ट्री
 - ix. मै. शांग्स इंटेल.ट्रेड कं.
 - x. मै. कैमिस्की कं. लि.
 - xi. मै. गुईझोऊ होंगताई कैमिकल कं. लि.
 - xii. मै. हुनान वानफेंग कैमिकल कं. लि.
 - xiii. मै. गुआंगझोऊ कैमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
 - xiv. मै. गुईझोऊ रेडस्टार डेवलपिंग डालोंग मैगनीज इंडस्ट्री कं. लि.
- छ. संबद्ध देश से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया और न ही प्राधिकारी के समक्ष निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किया।
- ज. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में, अनिवार्य सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई :-
- i. मै. गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल्स लि.
 - ii. मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.,
 - iii. मै. हिंद लैप्स
 - iv. मै. वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि.
 - v. मै. यूनाइटेड कैमिकल इंडस्ट्रीज
 - vi. मै. स्पार्कलिंग ट्रेडर्स (प्रा.) लि.
 - vii. मै. मिनरल्स उद्योग
 - viii. मै. डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड लि.
 - ix. मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.

- x. मै. तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि.
 - xi. मै. श्री कृष्णा फायर वर्क्स
 - xii. मै. जयश्री कैमिकल्स
 - xiii. मै. डीसीडब्ल्यू लि.
 - xiv. मै. प्रतीक कैमिकल्स
 - xv. मै. सरल कैम.
 - xvi. मै. मारुति कैमिकल कंपनी
 - xvii. मै. देवांशी इंपेक्स (प्रा.) लि.
 - xviii. मै. लाओपाला आरजी. लि.
 - xix. मै. कृष्णा एसोसिएट्स
 - xx. मै. ओम ग्लास वर्क्स (प्रा.) लि.
 - xxi. मै. ऋषि इंटरप्राइजेज
 - xxii. मै. प्रकाश कैमिकल्स एजेंसीज
 - xxiii. मै. पिरामल ग्लास लि.
- झ. वर्तमान जांच में भारत से किसी आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन ने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ज. जांच अप्रैल-2016-मार्च, 2017, अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल, 2018-मार्च, 2019 और पीओआई को शामिल करते हुए हुए क्षति विश्लेषण सहित 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (18 महीने) (जिसे यहां “जांच की अवधि या पी ओ आई” कहा गया है) तक की अवधि के लिए आयोजित की गई थी।
- ट. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने 1 जुलाई, 2021 को आयोजित मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में केवल घरेलू उद्योग ने भाग लिया। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौखिक सुनवाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। घरेलू उद्योग, जिसने अपने विचारों को मौखिक सुनवाई में प्रस्तुत किया था, से उनके विचारों को लिखित निवेदनों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
- ठ. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने इसकी उचित जांच के बाद जहां भी जरूरत थी, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया।
- ड. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया और डी जी सी आई एंड एस से उक्त सूचना प्राप्त की गई थी और इसे वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु अपनाया गया है।
- ढ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन को लागत और क्षति रहित कीमत को तैयार करने के लिए नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर यथा संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच की है।

- ण. इस जांच में, जहां भी संगत पाया गया, इस जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का प्राधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है।
- त. इन जांच परिणामों में '****' गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी इस प्रकार समझी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।
- थ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा पी ओ आई के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 73.17 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

6. मूल जांच तथा वर्तमान एस एस आर याचिका में विचाराधीन उत्पाद "बेरियम कार्बोनेट" है। जैसाकि मूल जांच में परिभाषित किया गया है, बेरियम कार्बोनेट एक खनिज उत्पाद, बेराइट से निर्मित रासायनिक फार्मूले $BaCo_2$ सहित एक सफेद पाउडर और दानों के रूप में एक अकार्बनिक रसायन है। बेरियम कार्बोनेट रोटेरी फर्नेस में से कार्बन को घटा कर उत्पादित किया जाता है जो बेराइट को ब्लैक एश के रूप में ज्ञात बेरियम सल्फाइट में बदल देता है, वाटर बेरियम सल्फाइड को पानी में घुलनशील बेरियम सल्फाइड को निकालने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करके ब्लीच किया जाता है, बेरियम सल्फाइड का जिसको तब बेरियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए सोडा ऐश के साथ उपचार किया जाता है। बेरियम कार्बोनेट का कॉस्टिक सोडा उद्योग में नमकीन घोल के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हार्ड फेराइट रिंग मेगनेट, टेलीविजन ग्लास शैल, न्यूट्राल ग्लास, लैम्प, हीट ट्रीटमेंट साल्ट्स एवं अन्य बेरियम साल्ट्स के उत्पादन में किया जाता है। वर्तमान आवेदन के विद्यमान पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के साथ संबंधित होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के समान बना रहेगा। संबद्ध वस्तु उप शीर्ष सं. 28366000 के तहत अधिनियम के अध्याय-28 के अंतर्गत आती है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. समान वस्तु

7. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं मापदंडों जैसे भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विशेषताएं, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। ये दोनों तकनीकी और व्यापारिक रूप से एक दूसरे के प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं जैसाकि मूल जांच में पहले ही स्थापित किया गया है, घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तु विचाराधीन नियमावली के अनुसरण में संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

ड. घरेलू उद्योग और स्थिति

8. वर्तमान एसएसआर आवेदन मै. अमरावती कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स प्रा. लिमि., मै. कडापा बेरियम साल्ट्स, मै. राहुल बेरियम कैमिकल्स प्रा. लि. और मै. श्री पवन कैमिकल्स एंड मिनरल्स की ओर से दायर किया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। याचिकाकर्ताओं ने 17.12.2020 को 6 उत्पादकों अर्थात् अथिअप्पा कैमिकल्स (प्रा.) लिमि., एलाक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा. लि., जगदेश्वरी कैमिकल्स, पी वी एस कैमिकल्स, अक्षय कैमिकल्स प्रा. लिमि., एवं मुरुगननथम कैमिकल्स एंड कंपनी, से प्राप्त समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है और भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख समानुपात को स्थापित करने का दावा किया है। हालांकि, निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए, घरेलू उद्योग का मत अनिवार्य नहीं है, फिर भी, अपने समर्थकों सहित घरेलू उद्योग देश में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का 48 प्रतिशत स्थापित करता है। इस प्रकार, समर्थक कंपनियों सहित आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख लाभानुपात स्थापित करता है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनियों में से किसी ने भी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर याचिकाकर्ताओं पर घरेलू उद्योग का गठन

करने के संबंध में विचार किया है और आवेदन ऊपर दी गई नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में पूरा उतरने के मापदंड को संतुष्ट करता है, हालांकि, नियम 23 के तहत प्रारंभ की गई किसी निर्णायक समीक्षा में स्थापित किए जाने के लिए नियम 5(3) के अर्थों में मत स्थापित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

च. गोपनीयता

9. न तो संबद्ध देश से किसी निर्यातक/उत्पादक न ही भारत में संबद्ध देश के किसी आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन ने इस जांच में भाग लिया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे पर विचार किया है और इस संबंध में संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावे को स्वीकृति दे दी है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

10. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- (क) उचित व्यापार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश पर विचार का अर्थ यह नहीं है कि ऐसे देश को एक विकसित देश नहीं होना चाहिए।
- (ख) आवेदकों ने रूस पर एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार किया है।

सामान्य मूल्य

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचारित किसी देश के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसरण में परिकलित किए जाने की जरूरत है। तत्कालीन मामले में, चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने कोई बाजार अर्थव्यवस्था (एम ई टी) प्रश्नावली दायर नहीं की है और इसलिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ए डी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अंतर्गत विकल्पों का अन्वेषण किए जाने की जरूरत है। पैरा-7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुक्रम निर्धारित करता है और व्यवस्था करता है कि सामान्य मूल्य, को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से किसी अन्य देश को भारत सहित, कीमत या जहां यह संभव नहीं है, एक उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, भली भांति समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या अदायगी योग्य कीमत को शामिल करते हुए, किसी अन्य आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध-7 के तहत उपलब्ध कराए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों के संबंध में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि ई.यू और यू एस ए ने चीन पर शुल्क लागू किया है और जापान, रूस और ताइवान जैसे देश संबद्ध वस्तु के महत्वपूर्ण व्यापार में शामिल हैं और इन देशों अर्थात् रूस और जापान पर चीन जन.गण. के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार किया जा सकता है। आवेदकों ने (क) रूस और ताइवान में आयात क्योंकि इन देशों में कीमत अभिभावी है और (ख) जापान से निर्यातों पर सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि जापान से निर्यात कीमत उल्लेखनीय रूप से उच्च है। इसके अलावा, इन देशों में खपत कीमत के रूप में रूस और ताइवान में संबद्ध वस्तुओं की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने एक उचित तीसरे देश के रूप में रूस को अपनाया और रूस के औसत आयात मूल्य को सामान्य मूल्य माना है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

12. याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का सहारा लिया है। निवल निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए निर्यात कीमत को व्ययों जैसे समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्ययों, अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय, बैंक प्रभारों और वैट समायोजन के लिए समायोजित किया गया है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

13. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

देश	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अम.डॉ./मी.ट.)	(अम.डॉ./मी.ट.)	(अम.डॉ./मी.ट.)	(%)	(%)
चीन जन.गण.	—	***	***	***	***	25-35

ज. क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का आकलन

14. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित आवेदन किए गए हैं:

- क. संबद्ध देश से आयातों में कुल रूप में और भारत में उत्पादन/खपत में दोनों के संबंध में, प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के कारण गिरावट आई है।
- ख. पाटन मार्जिन कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन के पीछे प्रमुख कारण संबद्ध वस्तुओं के ग्रेन्युलर और पाउडर रूप के बीच उल्लेखनीय कीमत अंतर है। डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों का अवलांकन करने पर यह देखा जा सकता है कि आयातों के केवल तीन सौदे हुए हैं और ये ग्रेन्युलर बेरियम के हैं।
- ग. चीन की तीसरे देश को औसत निर्यात कीमतें बिक्री की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से नीचे हैं जो यह दर्शाता है कि शुल्क को समाप्त किए जाने की ऐसी स्थिति में कीमतों पर आयातों के गहन होने की संभावना है जो घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर सकती हैं।
- घ. उन कीमतों पर विचार करते हुए, जिन पर चीन अन्य देशों को निर्यात कर रहा है, संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने से बाजार में कीमतों में कमी और न्यूनीकरण प्रभाव पड़ सकता है।
- ड. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री, मांग में बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्कों के कारण क्षति अवधि में औसत मालसूची में कमी आई है।
- च. लाभ, नकद लाभ, पी बी आई टी और नियोजित पूंजी पर घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय में 2017-18 तक सुधार हुआ था, 2018-19 में इसमें गिरावट आई और 2019-20 में फिर से वृद्धि हुई।
- छ. पैरामीटरों जैसे क्षमता, उत्पादन, बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि सकारात्मक थी, तथापि प्रति यूनिट लाभ, नकद लाभ ऋणात्मक स्तरों पर था जबकि निवेश पर आय निम्न स्तरों पर थी।
- ज. क्षति कारक आयातों को निवारण करने में पाटनरोधी शुल्क प्रभावी रहा है। भारतीय उद्योग उल्लेखनीय रूप से संपूर्ण बाजार को प्राप्त करने में सक्षम है। पिछली बार आयाजित समीक्षा जांच (2016) के बाद से चीन से आयातों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- झ. कम मात्रा वाले आयात भी पाटित कीमत पर किए गए हैं। शुल्क लागू किए जाने के पश्चात सकारात्मक पाटन मार्जिन शुल्क को वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना को निर्धारित करते हैं जो स्वयं में पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का औचित्य सिद्ध करता है।
- ञ. वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखते हुए लाभों, निवेश पर आय और नकद लाभ की शर्तों में क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में सुधार हुआ है। पिछली आयोजित समीक्षा जांच (2016) के बाद से चीन के आयातों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

- ट. इसके अलावा, संबद्ध देश में उत्पादक वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध वस्तुओं के गहन पाटन से परहेज करते हैं। यह तथ्यात्मक परिदृश्य शुल्कों की प्रभावकारिता को सिद्ध करता है और यह भी कि चीनी उत्पादकों के पास केवल पाटित संबद्ध वस्तुओं के लिए बाजार है।
- ठ. चीन जन.गण. से उत्पादक और निर्यातक अन्य देशों के बाजारों में पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहे हैं। क्षतिकारक कीमतों पर तीसरे देशों को 12,578 मी.ट. निर्यात किया गया अर्थात् भारतीय मांग का लगभग 20 प्रतिशत और 1,18,891 मी. टन निर्यात पाटित थे। अपने जांच परिणामों में ई सी, ने यह भी नोट किया कि अन्य तीसरे देशों में (छह सबसे बड़े निर्यात बाजारों) में चीन का निर्यात व्यवहार किसी उपाय को स्थापित किए बिना था अर्थात् ब्राजील, इजिप्ट, ईरान, जापान, मेक्सिको और रूस को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया था।
- ड. ई.यू. उद्योग ने संबद्ध वस्तु के चीनी आयातों की उच्च कीमत पर क्षति का सामना किया, जो यह भी दर्शाता है कि शुल्क की अनुपस्थिति में भारतीय उद्योग को होने वाली हानि बृहत होगी।
- ढ. घरेलू उद्योग की अनुपस्थिति में चीनी उत्पादक काफी ऊंची कीमतें वसूल कर रहे हैं। चीनी उत्पादन केवल उन बाजारों में कम कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं जहां घरेलू उत्पादन है। एकमात्र अपवाद वियतनाम है।
- ण. हालांकि, वियतनाम को कीमतों की इस कारण उपेक्षा की जा सकती है कि चीनी उत्पादकों ने सामान्य रूप से चीन के समान कीमतों पर वियतनाम में उत्पादकों को बिक्री आरंभ की थी – वियतनाम तेजी से छदम चीनी उत्पाद केन्द्र बन रहा है।

आयातों की मात्रा और विश्लेषण

15. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय उप शीर्ष 28 366000 के अंतर्गत वर्गीकृत है। आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एंड एस से प्रकाशित आयात आंकड़ों को अपनाया है।
16. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में इसके संगत भाग में उपलब्ध कराया गया है कि संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारक और आंकड़ों का मूल्यांकन शामिल होगा जिनमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, प्राकृतिक या संभावित गिरावट, निवेशों पर आय अथवा क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रभाव पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है।
17. यह नोट किया जाना चाहिए कि देश में कुल मांग की तुलना में पूरी क्षति अवधि में संबद्ध देश और अन्य देशों से आयातों की मात्रा नगण्य बनी हुई है।
18. घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में जानकारी का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :-

क. आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

19. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या पाटित आयातों में या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है :-

“पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी विचार करेंगे कि क्या या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।”

20. नीचे उल्लिखित सारणी में भारत में कुल आयात खपत और उत्पादन में संबद्ध देश के हिस्से और आयातों की मात्रा उपलब्ध कराई गई है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	20	-	-	94	63
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	-	313	313
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	116	217	144	100	67
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	187	124	57	57
कुल आयात	मी.ट.	136	217	144	194	129
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	159	106	95	95
कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	%	15	-	-	48	48
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	-	329	329
कुल भारतीय उत्पादन	मी.ट.	44,702	50,518	57,805	94,524	63,016
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	129	141	141
उत्पादन से संबंधित संबद्ध देश से आयात	%	0.04	-	-	0.10	0.10
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	-	222	222
मांग	मी.ट.	44,752	49,597	57,880	94,872	63,248
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	129	141	141
भारत में संबंधित संबद्ध देश से आयात	%	0.04	-	-	0.10	0.10
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	-	222	222

21. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश और अन्य देशों से आयातों की मात्रा देश में कुल मांग की तुलना में पूरी क्षति अवधि के दौरान नगण्य बनी रही है। यह देखा जा सकता है कि भारत में उत्पादन और खपत मांग के संबंध में संबद्ध आयात शून्य या नगण्य बने रहे हैं। इसके अलावा, संबद्ध देश से आयातों की मात्रा भी शून्य या नगण्य बनी रही है। पी ओ आई के दौरान संबद्ध आयातों का प्रतिशत कुल भारतीय उत्पादन और मांग का केवल 0.12 प्रतिशत है।

ख. कीमत प्रभाव

22. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-11 (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

(i) कीमत कटौती

23. कीमतों में कटौती को संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) के साथ संबद्ध देश से आयातों की पहुंच की कीमत की तुलना द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच

कीमत (आधार भूत सीमा शुल्कों को शामिल करने के बाद) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। आवेदकों ने स्वीकार किया है कि कीमत में कमी शून्य है।

विवरण	यू ओ एम	पीओआई	पीओआई (ए)
डी आई की बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100
पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	38	38
कीमत कटौती	रू./किग्रा.	***	***
कीमत कटौती	%	***	***
कीमत कटौती	रेंज	(40)-(30)%	(40)-(30)%

(ii) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

24. यह देखा गया है कि बिक्री कीमत में बिक्री की लागत में वृद्धि से ज्यादा है। इसके अलावा, आयात निम्न हैं और उनका घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई कमी या ह्रास संबंधी प्रभाव नहीं पड़ा है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
बिक्री की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	98	99	99
बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	112	112	104	104
पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	32,371	-	-	38,291	38,291
प्रवृत्ति		100	-	-	119	119

(iii) कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन/पाटन मार्जिन अनुमान

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच-पड़ताल की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने बहुत सी ई-मेल, अनुरोधों और अनुस्मारकों के बावजूद, उनके द्वारा दावा की गई क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के लिए अपेक्षित आंकड़े/सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अनिवार्य तथ्यों और आंकड़ों को उपलब्ध कराने में घरेलू उद्योग के असहयोग के कारण एनआईपी और सी एन बी का निर्धारण नहीं हुआ। अतः, प्राधिकारी ने जांच को त्वरित करने और ज्यादा विलंब से बचने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं निर्धारित की गई नीचे उल्लिखित एनआईपी को अपनाया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वयं अपनी एनआईपी के अनुसार नकारात्मक क्षति को स्वीकार किया है। एन आई पी की आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है। यह देखा गया है कि इस प्रकार निर्धारित क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। आवेदकों का तर्क है कि पाटनरोधी शुल्क के समापन का भविष्य में घरेलू उद्योग पर विपरीत कीमत प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, वर्तमान प्रवृत्ति ऐसे दावे का समर्थन नहीं करती। पहुंच मूल्य में डंपिंग रोधी शुल्क (एडीडी) शामिल नहीं है और यहां तक कि बिना एडीडी जोड़े भी पहुंच मूल्य डीआई के बिक्री मूल्य से अधिक है।

विवरण	मूल्य (रू./किग्रा.)	मूल्य (रू./किग्रा.)
क्षति रहित कीमत	***	***
पहुंच मूल्य	38	0.53
क्षति मार्जिन	***	***
क्षति मार्जिन %	***	***
प्रयुक्त विनिमय दर	अम.डॉ./आईएनआर	73.17

ड. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

26 पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

27. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों पर यहां नीचे विचार-विमर्श किया गया है :-

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

28. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों पर उपलब्ध कराई गई जानकारी निम्नानुसार दर्शाती है।

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
क्षमता-संयंत्र	मी.ट.	25,128	25,128	25,128	39,492	31,594
प्रवृत्ति		100	100	100	157	126
उत्पादन	मी.ट.	10,008	12,043	15,718	24,442	16,294
प्रवृत्ति		100	120	157	163	163
क्षमता उपयोग-संयंत्र	%	40	48	63	62	62
प्रवृत्ति		100	120	157	155	155
घरेलू बिक्री	मी.ट.	9,922	10,906	15,648	24,596	16,397
प्रवृत्ति		100	110	158	165	165

29. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, निम्नलिखित को अवलोकित किया गया है :-

- क. 2016-17 से 2018-19 तक घरेलू उद्योग की क्षमता करीब-करीब स्थिर बनी रही है और पी ओआई के दौरान इसमें वृद्धि हुई थी।
- ख. क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
- ग. पूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई किन्तु पी ओ आई के दौरान इसमें कमी आई।
- घ. समग्र क्षति अवधि के दौरान कुल मांग में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई।
- ड. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में लगातार वृद्धि हुई।

ii. लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

30. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना निम्नानुसार दर्शाती है :-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
लाभ/हानि	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		(100)	82	191	(7)	(7)
लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति		(100)	91	301	(12)	(12)
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		(100)	23700	52400	16900	11300
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	1300	2700	300	300

31. ऊपर दी गई सारणी से देखा जा सकता है कि पीओआई में घरेलू उद्योग को हानि हुई है। पीओआई के दौरान नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय में भी गिरावट आई है।

iii. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

32. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास रोजगार में वृद्धि हुई है। पी ओ आई के दौरान भुगतान किए गए वेतन में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोत्तरी हुई है। यह नोट किया गया है कि पी ओआई के दौरान उत्पादन की प्रति यूनिट मजदूरी लागत में कमी आई है, जबकि क्षति अवधि में उत्पादकता में वृद्धि हुई है:-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (ए)
मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	128	149	155	155
रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	102	106	108	108
उत्पादन/रोजगार	मी.ट./कर्मचारी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	117	147	225	149
उत्पादकता/दिवस	प्रति दिवस (मी.ट.)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	117	155	162	162

iv. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

33. यह देखा गया है कि मात्रा मापदंडों जैसे उत्पादन, बिक्रियां, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से के रूप में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक है। लाभों, नकद लाभों और निवेश पर आय के रूप में भी वृद्धि ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है।

v. वृद्धि

34. यह देखा गया है कि मात्रा मापदंडों जैसे उत्पादन, बिक्रियां, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से की शर्तों में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक है। कीमत संबंधी मापदंडों जैसे लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय की शर्तों में भी वृद्धि के सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई (ए)
उत्पादन	%	-	***	***	***
घरेलू बिक्री	%	-	***	***	***
घरेलू लाभ-प्रति इकाई	%	-	***	***	***
घरेलू लाभ-प्रति लाख	%	-	***	***	***
नकद लाभ	%	-	***	***	***

पीवीआईटी	%	-	***	***	***
आरओआई	%	-	***	***	***

झ. क्षति पर निष्कर्ष

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सत्यापन के दौरान विभिन्न ई-मेल, अनुरोधों और अनुस्मारकों के बावजूद घरेलू उद्योग ने उनके द्वारा दावा की गई क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के सत्यापन के लिए अपेक्षित आंकड़े/सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अनिवार्य तथ्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत करने में घरेलू उद्योग के असहयोग के कारण एन आई पी और सी एन वी का निर्धारण नहीं हुआ। अपूर्ण और असत्यापित आंकड़ों के कारण एन आई पी और सी एन वी को सही रूप से निर्धारित करना संभव नहीं था। अतः पृष्ठभूमि में, एन आई पी और सी एन वी को सत्यापित और निर्धारित नहीं किया जा सका। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच को त्वरित करने और अधिक विलंब को रोकने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं निर्धारित की गई नीचे उल्लिखित एन आई पी को अपनाया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वयं अपनी एन आई पी के अनुसार ऋणात्मक क्षति स्वीकार की है। यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा कुल रूप में और भारत में संबद्ध वस्तु की मांग और उत्पादन के संबंध में भी शून्य या बहुत नगण्य बनी रही है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु के आयात के कारण घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है। आवेदकों ने स्वीकार किया है कि कीमत कटौती शून्य है और इसके अलावा, आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव नहीं पड़ा है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को लाभ हुआ है जिसमें पी ओ आई के दौरान और वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय ने वही प्रवृत्ति दर्शायी है जो लाभप्रदता की थी। संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है। आवेदकों ने स्वीकार किया है कि कीमत कटौती शून्य है और इसके अलावा, आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव नहीं पड़ा है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को लाभ हुआ है जिसमें पी ओआई के दौरान और वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान लाभों, नकद लाभों, और नियोजित पूंजी पर आय ने वही प्रवृत्ति दर्शायी है जो लाभप्रदता की थी। संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है। घरेलू उद्योग के लिए अनुमानित क्षति रहित कीमत की आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है और यह देखा गया है कि क्षति मार्जिन नकारात्मक है।

ञ. कारणात्मक संबंध

36. गैर-क्षति विश्लेषण- आवेदकों ने दावा किया है कि मूल जांच में कारणात्मक संबंध पहले ही स्थापित किया जा चुका है। ए डी नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या जिससे क्षति होने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण क्षति न हो। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी आवेदकों के तर्क को स्वीकार करते हैं।

ट. पाटन और क्षति की संभावना

37. आवेदकों का दावा है कि निम्नलिखित कारक इंगित करते हैं कि पाटन और क्षति की संभावना है :-
- पिछली जांच और वर्तमान याचिका में निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है तथा स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति की संभावना को दर्शाते हैं।
 - निम्न मात्रा में किए गए आयात भी पाटित कीमतों पर किए गए हैं। शुल्क को लागू किए जाने के पश्चात सकारात्मक पाटन मार्जिन, शुल्क को वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना को स्थापित करता है जो स्वयं ही पाटनरोधी शुल्क के विस्तार के औचित्य को सिद्ध करता है।
 - वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखते हुए लाभों, निवेशों पर आय और नकद लाभ के रूप में क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में सुधार हुआ है। पिछली आयोजित जांच (2016) के बाद से

चीन से आयातों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। इसके अलावा, संबद्ध देश में उत्पादक वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध वस्तुओं के तीव्र पाटन से दूर रहते हैं। ये तथ्यात्मक परिदृश्य शुल्कों की प्रभावकारिता को सिद्ध करते हैं और यह कि चीनी उत्पादकों के पास केवल पाटित संबद्ध वस्तुओं के लिए बाजार है।

- iv. यू एस और ई यू ने 2003 और 2005 के बाद से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर शुल्क लागू किया है। दोनों देशों ने दो समीक्षा जांच आयोजित की हैं और पाटन और क्षति की संभावना के आधार पर पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार किया है।
- v. लगभग 63,000 मी.टन की भारतीय मांग के प्रति चीन में उत्पादकों के पास ज्ञात क्षमता 4, 57,000 मी.टन है। यह बृहत क्षमता पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में संभावित पाटन को सूचित करती है।

कंपनी का नाम *	उत्पादन क्षमता पीए (मी.ट. में)
हुबेई जिंगशान चुटियन बेरियम साल्ट कॉर्पोरेशन लिमि.	60,000
जाओजुआंग योंगली कैमिकल कं. लि.	50,000
गुईझोऊ रेडस्टार डेवलपिंग कंपनी लिमि.	3,00,000
हेंगयांग वेनफेंग कैमिकल कंपनी लि.	27,000
जोड़	4,37,000 मी.ट.

*स्रोत: वेब सोर्स

- vi अपनी पिछली आयोजित समीक्षा में यूरोपियन आयोग ने पाया कि संचित रूप से घोषित उत्पादन क्षमता की मात्रा वार्षिक क्षमता के रूप में कम से कम 428000 टन है जो 2015 में बेरियम कार्बोनेट के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग तीन गुना है।
- vii. चीनी उत्पादकों के पास उनकी मांग से भी परे कहीं ज्यादा क्षमता है। यूरोपियन आयोग ने अपनी पिछली आयोजित जांच में पाया कि चीन में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता सार्थक रूप से लगभग 280000 टन के समकक्ष थी। यू एस कमीशन ने भी अपनी तीसरी त्वरित समीक्षा में यही पाया। ऐसी अतिरिक्त क्षमता वर्तमान समीक्षा जांच अवधि के दौरान कुल भारतीय खपत के चार गुना से अधिक है।
- viii. यू.एस. आयोग ने अपनी तीसरी समीक्षा में बाजारों के बीच निर्यात को स्थानांतरित करने की क्षमता पर फिर से जोर दिया है और यह भारतीय बाजार में निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन होता यदि चीन जन.गण. से बेरियम कार्बोनेट पर यूरोपीय संघ और यू एस के पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के आदेश को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता।
- ix. चीन जन.गण. से उत्पादक और निर्यातक बाजारों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। तीसरे देशों को लगभग 12,578 मी.ट. निर्यात किया गया अर्थात् भारतीय मांग का लगभग 20 प्रतिशत और 1,18,891 मी.टन निर्यात पाटित था। ई.सी. ने अपने जांच परिणामों में यह भी नोट किया है कि चीन के अन्य तीसरे देशों में निर्यात व्यवहार (छह सबसे बड़े निर्यात बाजारों को) किसी उपाय को अपनाकर नहीं किए गए अर्थात् ब्राजील, इजिप्ट, ईरान, जापान, मेक्सिको और रूस को निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए।
- x. ई.यू. उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उच्च कीमत पर चीनी आयातों के कारण क्षति का सामना किया जो यह भी दर्शाता है कि शुल्क के अभाव में भारतीय उद्योग को होने वाली क्षति विशाल होगी।
- xi. घरेलू उद्योग के अभाव में, चीनी उत्पादक बहुत उच्च कीमतें वसूल कर रहे हैं। चीनी उत्पादक केवल उन बाजारों में कम कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं जहां घरेलू उत्पादन है। वियतनाम एकमात्र अपवाद है। हालांकि, वियतनाम को कीमतों को इस कारण से उपेक्षित किया जाना चाहिए कि चीनी उत्पादकों ने

सामान्यतः चीन के समान कीमतों पर वियतनाम में उत्पादकों को बिक्री आरंभ की थी – वियतनाम तेजी से छदम चीनी उत्पादन केन्द्र बन रहा है।

- xii. निर्यातकों का निर्यात उन्मुखीकरण- शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में इन निर्यातकों द्वारा पाटित कीमतों पर भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि किए जाने की संभावना है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यू.एस.ए. और ई.यू. में चीनी उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही प्रवृत्त है।
- xiii. उपायों के अभाव में कीमतों में कमी – पाटनरोधी शुल्क के अभाव में संबद्ध देश से पाटित आयात कीमतों में महत्वपूर्ण कमी का कारण बनेंगे। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इसकी संभावना है कि इसके परिणामस्वरूप बाद में कीमतों में कमी होगी।
- xiv. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता:- जिन कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुएं निर्यातित की जा रही हैं, वे उन कीमतों से उल्लेखनीय रूप से कम हैं जिन पर घरेलू बाजार में वस्तुएं बेची जा रही हैं। इसलिए, शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देश से निर्यातक उनके पास महत्वपूर्ण क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में अपने उत्पादन को और वितरण करेंगे। यह घरेलू बाजार को क्षति की संभावना की ओर इंगित करता है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां/अनुरोध

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से न तो किसी निर्यातक/उत्पादक न ही किसी आयातक/प्रयोक्ता और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस जांच में भाग लिया है। केवल घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण पश्चात विवरण अनुरोध प्रस्तुत किए हैं जो कि पुनरावृत्ति है और प्राधिकारी द्वारा पहले ही इन पर विचार किया जा चुका है। संक्षेप में, अनुरोध निम्नानुसार हैं :-
 - i. प्राधिकारी के इस अवलोकन के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने उनके द्वारा की गई क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के सत्यापन के लिए अपेक्षित आंकड़े/सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी आवेदक कंपनियां "लघु उद्यम" की परिभाषा के भीतर आती हैं और घरेलू उद्योग ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सत्यापन के लिए जरूरी सारी सूचना उपलब्ध कराई है।
 - ii. चीन से आयात पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के पश्चात ही निम्न बने हुए हैं। आयातों की पहुंच कीमत संभावित कीमतों की निर्देशात्मक नहीं है क्योंकि आयातों की मात्रा निम्न है। चीन की तीसरे देश के लिए निर्यात कीमतें बिक्री की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से नीचे है जो यह संकेत करती है कि शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, ऐसी कीमतों पर गहन आयातों की संभावना है जो घरेलू उद्योग उद्योग की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से कम/या कम कीमत पर बिक्री कर सकती है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से अधिक हैं। ये कीमतें संबद्ध वस्तुओं के केवल ग्रेन्युलर रूप को प्रतिबिंबित करती हैं। संबद्ध वस्तुओं के ग्रेन्युलर रूप की ये कीमतें संबद्ध आयातों के कीमत प्रभाव को उचित रूप से परिलक्षित नहीं करतीं। पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग को हानियां हुई हैं। नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी पीओआई के दौरान गिरावट आई है। निवेश पर आय उचित स्तर से काफी नीचे बनी रही है।
 - iii. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि यदि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू वर्तमान शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है। घरेलू उद्योग ने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है कि पिछली सभी जांचों में पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण था, जब भी आयातों की मात्रा उल्लेखनीय थी, पाटन मार्जिन भी उल्लेखनीय था। यह स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना और परिणामी क्षति को दर्शाता है। यू.एस. और ई.यू. ने 2003 और 2005 से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर शुल्क लागू किया हुआ है। दोनों देशों ने दो समीक्षा जांचें आयोजित की हैं और पाटन और क्षति की संभावना के आधार पर पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार किया है। चीनी उत्पादकों के पास ज्ञात क्षमताएं चीन की मांग से बहुत अधिक हैं। यह विशाल क्षमता पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की स्थिति में भारतीय बाजार में संभावित पाटन को दर्शाती है। यूरोपियन कमीशन ने अपनी पिछली आयोजित समीक्षा में पाया कि घोषित उत्पाद संबंधी संचयी क्षमता रूप से कम से कम

428000 टन की वार्षिक क्षमता के बराबर है जो 2015 में बेरियम कार्बोनेट के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग तीन गुना था। यू एस कमीशन ने 2015 में दूसरी समीक्षा में यह निष्कर्ष भी प्राप्त किया कि चीन में उत्पादक महत्वपूर्ण क्षमताएं धारित करते हैं और अत्यधिक निर्यातोन्मुखी हैं। चीनी उत्पादकों की क्षमता उनकी मांग से भी अधिक है। यूरॉपियन कमीशन ने उनकी पिछली आयोजित समीक्षा में पाया कि चीन में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताएं लगभग 280000 टन पर महत्वपूर्ण स्तर पर थीं। ऐसी अतिशेष क्षमता वर्तमान समीक्षा जांच अवधि के दौरान कुल भारतीय खपत के चार गुना से अधिक थीं। संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुखी हैं। निर्यातोन्मुखी होने सहित चीन द्वारा धारित महत्वपूर्ण क्षमता और ई यू और यू एस ए में चीन के विचाराधीन उत्पाद पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क पर विचार करते हुए, इस बात की अत्यधिक संभावना है कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में, चीन जन.गण. से निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि करेंगे। चीन जन.गण. से उत्पादक और निर्यातक अन्य देशों के बाजारों में पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं।

- iv. अभिव्यक्ति सार्वजनिक हित अपने आप में केवल उपभोक्ता उद्योग तक ही सीमित नहीं है और वास्तव में यह एक अधिक विस्तृत शब्द है जिस के दायरे में घरेलू उद्योग भी शामिल है। यह भली भांति ज्ञात है कि सभी आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं के लघु उत्पादक हैं। ऐसी स्थिति में, जहां घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से सभी संभावनाओं में क्षति होने की संभावना है और शुल्क को जारी न रखने से उद्योग की स्थिति खराब हो सकती है और भारतीय उद्योग के बंद होने की संभावना हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ता पूरी तरह से आयातों पर निर्भर हो सकते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि घरेलू उद्योग को सार्वजनिक हित के दायरे में देखा जाए।
- v. इसलिए, प्राधिकारी से यह निष्कर्ष निकालने कि यदि शुल्कों का विस्तार नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है और घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए 5 और अधिक वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश से आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लगातार लागू रखने की सिफारिश करने का अनुरोध किया जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

39. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों की जांच की है और नोट किया है कि अनुरोधों की पुनरावृत्ति की गई है। फिर भी, प्राधिकारी ने प्रकटीकरण पश्चात विवरण टिप्पणियों की जांच की है।
40. आवेदकों ने स्वयं साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान संबद्ध देश से आयात शून्य था और पी ओ आई के दौरान भी आयात न्यूनतम थे। यह देखा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण आयात मात्रा कुल रूप में शून्य या उल्लेखनीय रूप से निम्न और बाजार हिस्से के रूप में लगभग शून्य थी।
41. यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क, जो लागू किया गया है, और घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का निष्पादन और वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी दिखायी देती है। आवेदकों ने स्वीकार किया है कि कीमत कटौती शून्य है और इसके अलावा, आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव नहीं है। घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण किसी क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है। घरेलू उद्योग के लिए अनुमानित क्षति रहित कीमत की आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है और यह देखा गया है कि क्षति मार्जिन नकारात्मक है।
42. आवेदकों द्वारा उठाया गया एकमात्र मुद्दा चीन की निर्यात क्षमता और अत्यधिक उत्पाद क्षमता है जिसके परिणामस्वरूप उपायों को रद्द किए जाने के मामले की संभावना के कारण भारत में आयातों की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, आवेदकों द्वारा चीन में अत्यधिक क्षमता के रूप में पाटन की संभावना के विश्लेषण के लिए कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, क्षति की संभावना को आवेदकों द्वारा निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया गया है।
43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां/अनुरोध अधिकतर पहले किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति है जिसकी पहले ही उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है और उन्हें

प्रकटीकरण विवरण अथवा वर्तमान जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में उचित रूप से संबोधित किया गया है। प्राधिकारी ने आगे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में निम्नानुसार विचार किया है :

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश/क्षेत्रों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

निष्कर्ष

45. उठाए गए विवादों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों, जैसा कि ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं, के संबंध में तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :-
- यह देखा गया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की संपूर्ण आयात मात्रा कुल रूप में शून्य या उल्लेखनीय रूप से निम्न है और बाजार हिस्से के साथ में लगभग शून्य है।
 - आवेदकों ने स्वीकार किया है कि कीमत कटौती शून्य है और इसके अलावा, घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव नहीं पड़ा है।
 - संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है। क्षति मार्जिन नकारात्मक है।
 - आवेदकों द्वारा चीन में अतिशेष क्षमता के रूप में क्षति की संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए, आवेदकों द्वारा निर्णायक तौर पर क्षति की संभावना को स्थापित नहीं किया गया है।
 - इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू वर्तमान शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तब घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण न तो क्षति का सामना करना पड़ा है और न ही घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना है।

सिफारिशें

46. यह अवलोकन करते हुए कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 23 मार्च, 2010 से अस्तित्व में हैं, प्राधिकारी ने इसे आवश्यक समझा और अधिसूचना सं. 15/27/2014-डीजीएडी दिनांक 23 फरवरी, 2016 के अनुसार सिफारिश किए गए और ये सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 14/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 21 अप्रैल, 2016 के अनुसार प्रवृत्त किए गए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को तत्काल समाप्त करने की सिफारिश करते हैं जिसे सीमाशुल्क अधिसूचना सं.22/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के अनुसार आगे 20 अक्टूबर, 2021 तक और बढ़ाया गया था।

आगे की प्रक्रिया

47. इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमाशुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION
FINAL-FINDINGS

New Delhi, the 20th July, 2021

Case No. (AD SSR) 27/2020

Subject : Sunset Review investigation concerning imports of 'Barium Carbonate' originating in or exported from China PR

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 7/46/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 (hereinafter also referred to as 'the Rules') as amended from time to time thereof, M/s. Amaravathi Chemicals and Fertilizers Pvt. Ltd.; M/s. Kadapa Barium Salts; Rahul Barium Chemicals Pvt. Ltd. and M/s. Shree Pavan Chemicals & Minerals (hereinafter also referred to as the Petitioners or the Applicants or the Domestic Industry) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) on behalf of the domestic industry for initiation of 2nd Sunset Review of anti-dumping duty imposed on the imports of Barium Carbonate (hereinafter also referred to as the subject goods or the product under consideration), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country). According to the Petitioners, the petition contains prima facie evidence for conducting the 2nd sunset review investigation.

2. Original investigation was initiated on 16th June, 2009 and provisional anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Customs Notification No 37/2010 dated 23rd March, 2010. The Authority had issued the Final Findings vide Notification No. 14/18/2009-DGAD dated 10th December, 2010, which were confirmed by the Ministry of Finance vide Notification No. 6/2011-Customs dated 07th February, 2011. Further, the Authority issued final finding after 1st SSR investigation vide Notification No. 15/27/2014-DGAD dated 23rd February, 2016 on imports of Barium Carbonate originating in or exported from China PR. The same were confirmed by the Ministry of Finance vide Notification No. 14/2016-Customs (ADD) dated 21st April, 2016. The said duties were levied for a period of five years and are set to expire on 20th April, 2021. On the basis of request made by the Authority, the Ministry of Finance vide Notification No. 22/2021—Customs (ADD) dated 15th April, 2021 extended the duty till 20th October, 2021.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Based on the prima facie evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury given in the petition filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated sunset review investigation vide Notification No. 7/46/2020-DGTR dated 2nd March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, to examine whether the expiry of present anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

B. PROCEDURE

5. The procedure, as described herein below, has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified to the Government of the subject country through its Embassy in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the present investigation, in accordance with Rule 5(5) of the Rules.

- b. The Authority vide Notification No. 7/46/2020-DGTR dated 2nd March, 2021, issued a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation against imports of the subject goods from the subject country.
- c. In accordance with Rule 6(2) of the AD Rules, the Authority forwarded a copy of the public notice to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users association and the domestic industry as per the addresses made available by the Domestic Industry and requested them to make their views/submissions known in writing within thirty days from the date of issue of the letter. The time limit to file information was extended up to 05th December 2020.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application filed by the Applicants to the known exporters and the Embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- f. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters of the subject goods in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s. Quinngdao Rising Intl. Co. Ltd.,
 - ii. M/s. Hunan Mint Import & Export Co.
 - iii. M/s. Guizhou Redstar Developing Import & Export Co. Ltd.,
 - iv. M/s. Hunan Mec Machinery & Electronic Imp. & Exp. Corp.
 - v. M/s. Hongkong Jingjiu Industrial Co. Ltd.
 - vi. M/s. Tianjin Port Free Trade Zone & Shangshun Int. Trade Co.
 - vii. M/s. China Hubei Jingshan Chutian Barium
 - viii. M/s. China Haohua Chemical Industry
 - ix. M/s. Shangs Intl. Trade Co.
 - x. M/s. Chemisky Co Ltd,
 - xi. M/s. GuizhouHongtai Chemical Co. Ltd.,
 - xii. M/s. Hunan Wanfeng Chemical Co. Ltd.,
 - xiii. M/s. Guangzhou Chemicals Import & Export Corporation,
 - xiv. M/s. Guizhou Redstar Developing Dalong Manganese Industry Co. Ltd.,
- g. No producer/exporter from the subject country has participated and filed the exporter questionnaire response before the Authority:
- h. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd
 - ii. M/s. Hindalco Industries Ltd.,
 - iii. M/s. Hind Lamps
 - iv. M/s. Videocon Industries Ltd.
 - v. M/s. United Chemical Industries
 - vi. M/s. Sparkling Traders (P) Ltd
 - vii. M/s. Mineral Udyog

- viii. M/s. DCM Shriram Consolidated Ltd
 - ix. M/s. Reliance Industries Ltd
 - x. M/s. Tamilnadu Petro Products Ltd
 - xi. M/s. Sri Krishna Fireworks
 - xii. M/s. Jaysree Chemicals
 - xiii. M/s. DCW Ltd
 - xiv. M/s. Pratik Chemicals
 - xv. M/s. Saral Chem
 - xvi. M/s. Maruthi Chemical Company
 - xvii. M/s. Devanshi Impex (P) Ltd
 - xviii. M/s. Laopala Rg. Ltd
 - xix. M/s. Krishna Associates
 - xx. M/s. Om Glass Works (P) Ltd
 - xxi. M/s. Rishi Enterprises
 - xxii. M/s. Prakash Chemicals Agencies
 - xxiii. M/s. Piramal Glass Ltd
- i. No importer/user/organisation from India has filed Questionnaire response in the present investigation.
 - j. Investigation was conducted for the period from 1st April, 2019 to 30th September, 2020 (18 months) (hereinafter referred to as the 'Period of Investigation' or 'POI') with injury analysis covering the period April, 2016 – March, 2017, April, 2017 – March 2018, April, 2018 – March, 2019 and the POI.
 - k. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their submissions orally in the oral hearing held on 1st July, 2021. The oral hearing was attended only by the Domestic Industry. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic. The Domestic Industry which presented its views in the oral hearing was requested to file written submissions of its views.
 - l. Information provided by the Domestic Industry on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority accepted the confidentiality claims wherever warranted after due examination of the same.
 - m. The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) was requested to provide details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and has been adopted for the purpose of the present investigation.
 - n. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India.
 - o. The submissions made by the Domestic Industry during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
 - p. '***' in these Final Findings represents the information furnished by the Domestic Industry on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - q. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority for the subject investigation as 1US\$ = Rs. 73.17

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

6. The product under consideration in the original investigation as well as the present SSR petition is "Barium Carbonate". As defined in the original investigation, Barium Carbonate is an inorganic chemical in the form of a white powder and granules having chemical formula $BaCO_2$ manufactured out of Barytes, a mineral product. Barium Carbonate is produced by reducing carbon in rotary furnace which converts barytes to Barium Sulphide known as black ash, Barium Sulphide is bleached using hot water to extract water soluble water barium sulphide which is then treated with soda ash to obtain Barium Carbonate. Barium Carbonate is used for purification of brine solution in caustic soda industry. It is also used in production of hard Ferrite Ring Magnets, Television Glass Shell, Neutral gloss, Lamps, Heat treatment salts and other barium salts. The present application being concerned with sunset review of existing anti-dumping duty, the scope of the product under consideration remains the same as the scope of the product under consideration in the original investigation. The subject goods fall under Chapter 28 of the Act under subheading No. 28366000. However, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

D. LIKE ARTICLE

7. The Petitioners have claimed that the goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. As already established in the original investigation, product under consideration produced by the Petitioners representing the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country in accordance with the Rules.

E. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

8. The present SSR application has been filed on behalf of the M/s. Amaravathi Chemicals and Fertilizers Pvt. Ltd.; M/s. Kadapa Barium Salts; M/s. Rahul Barium Chemicals Pvt. Ltd. and M/s. Sree Pavan Chemicals & Minerals. Petitioners claim that they have neither imported the subject goods nor are related to any importer or exporter from the subject country. The Petitioners have furnished the support letter on 17.12.2020 from 6 producers, namely, Athiappa Chemicals (P) Ltd., Ellak Chem Industries India Pvt. Ltd., Jagadeeswari Chemicals, PVS Chemicals, Akshya Chemicals Pvt. Ltd. And Muruganantham Chemical & Co. and claimed to constitute a major proportion of total domestic production of subject goods in India. Though for initiation of a Sunset Review, standing of the Domestic Industry is not mandatory, still the Domestic Industry along with its supporters constitutes 48% of the total production of the subject goods in the country. Thus, the production of applicant companies along with supporting companies constitutes a major proportion of total domestic production of subject goods in India. It is noted that none of the Petitioner companies have imported the subject goods from the subject country or are related to any exporter or importer of the subject goods. Therefore, the Authority has considered the Petitioners as constituting domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra, even though standing within the meaning of Rule 5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23.

F. CONFIDENTIALITY

9. Neither any exporter/producer from the subject country nor any importer/user/user organisation of the subject goods in India has participated in this investigation. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Domestic Industry and on being satisfied about the same, has allowed the claim on confidentiality.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

10. The following submissions have been made by the Domestic Industry.
- a) The consideration of appropriate market economy third country does not imply that such a country should not be a developed country.
 - b) The Applicants have considered Russia as the appropriate market economy third country.

Normal Value

11. The Authority notes that Normal Value for a country considered as a non-market economy is required to be computed in accordance with para 7 and 8 of Annexure 1 of AD rules. In the instant case none of the producers and exporters from China PR has filed any market economy treatment (MET) questionnaire and, therefore, the Authority notes that options under para 7 of Annexure 1 to AD rules need to be explored. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7. The Petitioners had submitted that EU and USA have imposed duties on China and countries such as Japan, Russia, Taiwan are involved in significant trade of subject goods and these countries, i.e., Russia and Japan can be considered as a market economy third country for China PR. The Applicants have provided information on (a) imports into Russia and Taiwan and the price prevailing in these countries and (b) exports from Japan. The Authority noted that export price from Japan is significantly high. Further, after consideration of volume and value of imports of subject goods into Russia and Taiwan as the consumption price in these countries, the Authority adopted Russia as an appropriate third country and considered average import price of Russia as normal value. The normal value so determined is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

12. Petitioners have relied upon DGCI&S published data. The export price has been adjusted for expenses such as ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses, bank charges and VAT adjustment to arrive at the net export price. The Authority has accepted the claim of the Petitioners and the net export price so determined is shown in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin

13. Considering the normal value and export price determined as above, the dumping margin has been determined as under:

Country	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range%)
China PR	—	***	***	***	***	25-35

H. ASSESSMENT OF INJURY, CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

14. The following submissions have been made by the Domestic Industry.
- The imports from subject country have declined due to the anti-dumping duty in force, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India.
 - The primary reason behind dumping margin, undercutting and injury margin being negative is significant price difference between granular and powdered form of subject goods. On perusal of DGCI&S transaction wise data, it may be seen that there are only three transactions of imports and these are granular Barium.
 - The average third country export prices of China are below the level of cost of sales and selling price which indicates that in the event of cessation of duty there is likelihood of intensified imports at prices that is likely to undercut the domestic industry's prices.

- d) Considering the prices in which China is exporting to other countries, the cessation of anti-dumping duties on subject goods would have suppressing and depressing effect on the prices in the market.
- e) The production, capacity, capacity utilization, sales, market share in demand increased and the average inventories decreased over the injury period due to the anti-dumping duties in force.
- f) The profits, cash profit, PBIT and return on capital employed earned by the domestic industry improved till 2017-18, declined in 2018-19 and then increased again in 2019-20.
- g) Growth in parameters such as capacity, production, cost of sales, selling price, domestic sales of the domestic industry was positive, however, profit per unit, cash profit, were at negative levels, whereas, return on investment was at low levels.
- h) The antidumping duty have been effective in preventing injurious imports. The Indian industry has been able to get substantially entire market. Imports from China have declined significantly since last conducted review investigation (2016).
- i) Imports even at low volume has been made at dumped price. Positive dumping margin post imposition of duty implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty in itself justifies extension of anti-dumping duty.
- j) The overall performance of the domestic industry has improved over the injury period in terms of profits, return on investments, and cash profit in view of current anti-dumping duty. Imports from China has declined significantly since last conducted review investigation (2016).
- k) Further, producers in the subject country have refrained from intensified dumping of subject goods due to existing anti-dumping duty. These factual scenarios prove the effectiveness of the duties and also that the Chinese producers only have market for dumped subject goods
- l) Producers and exporters from China PR are exporting the subject goods at dumped prices in other countries markets. Almost 12,578 MT of exports made to third countries are at injurious price, i.e., around 20% of Indian demand, and 1, 18,891MT of exports were dumped. The EC in its findings also noted that China's export behaviour in other third countries (to the six largest export markets) with no measures in place, i.e., Brazil, Egypt, Iran, Japan, Mexico and Russia, were made at dumped prices.
- m) The EU industry suffered injury at a higher price of Chinese imports of subject goods, this also indicates that the injury to Indian industry in absence of duty will be huge.
- n) In the absence of the domestic industry, Chinese producers are charging much higher prices. Chinese producers are selling at low prices only in those markets where there is domestic production. The only exception is Vietnam.
- o) However, prices to Vietnam should be ignored for the reason that the Chinese producers in general have started selling to the producers in Vietnam at prices similar to China – with Vietnam increasingly becoming pseudo Chinese production centre.

Volume of Imports and its Analysis

- 15. Product under consideration is classified under Chapter sub-heading 28366000 of the Customs Tariff Act. For the purpose of analysing the imports data, the Petitioners have adopted published import data from DGCI&S.
- 16. Annexure II to the Anti-Dumping Rules, in its relevant part provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, , wages, growth, ability to raise capital investments.

17. It may be noted that the volume of imports from the subject country and other countries has remained insignificant throughout the injury period in comparison to the total demand in the country.

18. Information with regard to various parameters showing injury to the domestic industry has been analysed as under:

a. Import Volume and Market Share

19. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, said Authority, shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India".

20. The below-mentioned table provides details of the volume of imports and share of subject country in total imports, consumption and production in India.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Imports from subject country	MT	20	-	-	94	63
Trend	Indexed	100	-	-	313	313
Imports from other countries	MT	116	217	144	100	67
Trend	Indexed	100	187	124	57	57
Total Imports	MT	136	217	144	194	129
Trend	Indexed	100	159	106	95	95
Subject country imports in relation to total imports	%	15	-	-	48	48
Trend	Indexed	100	-	-	329	329
Total Indian production	MT	44,702	50,518	57,805	94,524	63,016
Trend	Indexed	100	113	129	141	141
Imports from subject country relative to production	%	0.04	-	-	0.10	0.10
Trend	Indexed	100	-	-	222	222
Demand	MT	44,752	49,597	57,880	94,872	63,248
Trend	Indexed	100	111	129	141	141
Imports from subject country relative to demand in India	%	0.04	-	-	0.10	0.10
Trend	Indexed	100	-	-	222	222

21. It may be noted that the volume of imports from the subject country and other countries has remained insignificant throughout the injury period in comparison to the total demand in the country. It is seen that the subject imports are nil or negligible in relation to production and consumption demand in India. Further, the volume of imports from subject country also remains nil or negligible. During the POI, the %age of subject imports is mere 0.12% of total Indian production and demand.

Price Effect

22. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

(i) Price undercutting

23. Price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from subject country with the Net Sales Realization (NSR) of domestic industry for the subject goods. It is seen that the landed price of imports (after including basic customs duties) is significantly high from the selling prices of the domestic industry. The Applicants have admitted that there is nil price undercutting.

Particulars	UOM	POI	POI (A)
Selling Price of DI	Rs/Kg	***	***
Trend	Index	100	100
Landed price	Rs/Kg	38	38
Price undercutting	Rs/Kg	***	***
Price undercutting	%	***	***
Price undercutting	Range	(40)-(30)%	(40)-(30)%

(ii) Price Suppression/Depression

24. It is seen that the selling price has increased more than the increase in cost of sales. Further imports have been low and they are not having any suppressing or depressing effect on the prices of the Domestic industry.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	103	98	99	99
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	112	112	104	104
Landed Price	Rs/MT	32,371	-	-	38,291	38,291
Trend		100	-	-	119	119

(iii) Price underselling/Injury Margin/Dumping Margin estimates

25. The Authority notes that during the course of verification, the domestic industry has not furnished the requisite data / information for verifying Non-Injurious Price (NIP) claimed by them, despite several e-mails, requests and reminders. Non-cooperation of the domestic industry in furnishing the essential facts and figures led to non-determination of NIP and CNV. Therefore, it was not possible to determine the NIP and CNV accurately because of the deficient and unverified data. With the above background, NIP and CNV could not be verified and determined. Therefore, the Authority in order to expedite the investigation and avoid further delay has adopted the below mentioned NIP determined by the domestic industry itself since the domestic industry itself has admitted negative injury as per its own NIP. The NIP has been compared with the landed price of imports. It is seen that injury margin so determined is negative. Applicants have argued that cessation of anti-

dumping duty may have adverse price impact on the domestic industry in future. However, current trend does not support the claim as such. Landed value does not include anti-dumping duty (ADD) and even without adding ADD, the landed value is more than the selling price of the DI.

Particulars	Value (Rs/KG)	Value (USD/KG)
Non-Injurious Price	***	***
Landed Value	38	0.53
Injury Margin	***	***
Injury Margin %	***	***
Exchange Rate used	USD/INR	73.17

b. Economic Parameters relating to the domestic industry

26. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

27. Various economic parameters of the domestic industry are discussed herein under:

i. Production, Capacity, Capacity utilization and Sales

28. Information on production, capacity, capacity utilization and sales provided by the petitioner shows as follows;

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Capacity - Plant	MT	25,128	25,128	25,128	39,492	31,594
Trend		100	100	100	157	126
Production	MT	10,008	12,043	15,718	24,442	16,294
Trend		100	120	157	163	163
Capacity utilization - Plant	%	40	48	63	62	62
Trend		100	120	157	155	155
Domestic sales	MT	9,922	10,906	15,648	24,596	16,397
Trend		100	110	158	165	165

29. As per information provided by the Applicants, the following is observed:

- The capacity of the domestic industry remained more or less static from 2016-17 to 2018-19 and was enhanced in the POI.
- Capacity utilisation has increased during the injury period.
- The production of the DI kept increasing throughout the injury period but decreased in the POI.
- The total demand registered a continuous increasing trend throughout the injury period.
- The sales of the DI increased continuously throughout the injury period.

ii. Profits, return on investment and cash flow

30. Information provided by the applicant shows as follows –

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		(100)	82	191	(7)	(7)
Profit/Loss	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend		(100)	91	301	(12)	(12)
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend		100	23,700	52,400	16,900	11,300
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend		100	1,300	2,700	300	300

31. It is seen from the table above that domestic industry made losses in the POI. Cash profits and return on capital employed in the POI also have declined.

iii. Employment, Productivity and Wages

32. Petitioners have claimed that employment with the domestic industry has increased over the injury period. Wages paid have been increased considerably during the POI. It is noted that wage cost per unit of production has decreased during POI; whereas productivity increased over the injury period.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend		100	128	149	232	155
Employee	Nos.	***	***	***	***	***
Trend		100	102	106	108	108
Production/Employee	MT/Employee	***	***	***	***	***
Trend		100	117	147	225	149
Productivity/Day	Per Day (MT)	***	***	***	***	***
Trend		100	117	155	162	162

iv. Ability to raise capital investments

33. It is seen that growth of the Domestic Industry is in terms of volume parameters such as production, sales, capacity utilization and market share is positive. Growth in terms of price parameters such as profits, cash profits and return on investment also reflects positive trend.

v. Growth

34. It is seen that growth of the Domestic Industry in terms of volume parameters such as production, sales, capacity utilization and market share is positive. Growth in terms of price parameters such as profits, cash profits and return on investment also reflects positive trend.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (A)
Production	%	-	***	***	***
Domestic Sales	%	-	***	***	***
Domestic Profit-Per Unit	%	-	***	***	***
Domestic profit-Per Lacs	%	-	***	***	***
Cash Profit	%	-	***	***	***
PBIT	%	-	***	***	***
ROI	%	-	***	***	***

I. Conclusion on Injury

35. The Authority notes that during the course of verification, the domestic industry has not furnished the requisite data / information for verifying Non-Injurious Price (NIP) claimed by them, despite several e-mails, requests and reminders. Non-cooperation of the domestic industry in furnishing the essential facts and figures led to non-determination of NIP and CNV. Therefore, it was not possible to determine the NIP and CNV accurately in the absence of the deficient and unverified data. With the above background, NIP and CNV could not be verified and determined. Therefore, the Authority in order to expedite the investigation and avoid further delay has adopted the below mentioned NIP determined by the domestic industry itself since the domestic industry itself has admitted negative injury as per its own NIP. It is seen that the volume of imports from the subject country has remained nil or very negligible in absolute terms and also in relation to demand and production of the subject goods in India, which has resulted in significant increase in market share of the domestic industry. The domestic Industry has not suffered injury on account of imports of the subject goods. The Applicants have admitted that there is nil price undercutting and further that the imports are not having any suppressing or depressing effect on the prices of the Domestic industry. The Domestic Industry has made profits in injury period which increased further in the POI. Profits, cash profits and return on capital employed shows the same trend over the period as that of profitability. The Domestic Industry has not suffered injury on account of imports of the subject goods. The non-injurious price estimated for the domestic industry has been compared with the landed price of imports and it is seen that injury margin is negative.

J. Causal Link

36. Non attribution Analysis - Applicants have claimed that the causal link has already been established in the original investigation. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority accepts the contention of the Applicants.

K. Likelihood of Dumping and Injury

37. Applicants have claimed that the following factors indicate that there is likelihood of dumping and injury:
- Dumping Margins determined in previous investigations and present petition are positive and significant and clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - Imports even at low volume has been made at dumped price. Positive dumping margin post imposition of duty implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty in itself justifies extension of anti-dumping duty.
 - The overall performance of the domestic industry has improved over the injury period in terms of profits, return on investments, and cash profit in view of current anti-dumping

- duty. Imports from China has declined significantly since last conducted review investigation (2016). Further, producers in the subject country have refrained from intensified dumping of subject goods due to existing anti-dumping duty. These factual scenarios prove the effectiveness of the duties and also that the Chinese producers only have market for dumped subject goods.
- iv. The US and EU have imposed duties on imports of subject goods since 2003 and 2005. Both countries have conducted two review investigations and have extended antidumping duties on the ground of likelihood of dumping and injury.
 - v. The known capacity with the producers in China is 4, 37,000 MT as against the Indian demand of around 63,000MT. This huge capacity signifies potential dumping into the Indian market in the event of cessation of the antidumping duties.

Name of the Company*	Production Capacity PA (in MT)
Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp Ltd.	60,000
Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd.	50,000
Guizhou Redstar Developing Co. Ltd.	3,00,000
Hengyang Wenfeng Chemical Co. Ltd.	27,000
Total	4,37,000 MT

*Source: Web sources

- vi. The European Commission in its last conducted review found that the declared production capacity amounted cumulatively to a yearly capacity of at least 428 000 tonnes which was about three times the total world trade of barium carbonate in 2015.
- vii. Chinese producers also have capacity much beyond their demand. The European Commission in its last conducted review found that available spare capacities in China were significant to the tune of around 280 000 tonnes. The same was also found by the US commission in its third expedited review. Such spare capacity represents more than four times the total India consumption during the current review investigation period.
- viii. The US Commission in its third expedited review has also re-emphasized upon the ability to shift exports between markets, and would have the incentive to increase exports to the Indian markets if the anti-dumping duties were to expire in light of the European Union's and US continuation of antidumping duty order on barium carbonate from China PR.
- ix. Producers and exporters from China PR are exporting the subject goods at dumped prices in other countries markets. Almost 12,578 MT of exports made to third countries are at injurious price, i.e., around 20% of Indian demand, and 1, 18,891MT of exports were dumped. the EC in its findings also noted that China's export behaviour in other third countries (to the six largest export markets) with no measures in place, i.e., Brazil, Egypt, Iran, Japan, Mexico and Russia, were made at dumped prices.
- x. The EU industry suffered injury at a higher price of Chinese imports of subject goods, this also indicates that the injury to Indian industry in absence of duty will be huge.
- xi. In the absence of the domestic industry Chinese producers are charging much higher prices. Chinese producers are selling at low prices only in those markets where there is domestic production. The only exception is Vietnam. However, prices to Vietnam should be ignored for the reason that the Chinese producers in general have started selling to the producers in Vietnam at prices similar to China – with Vietnam increasingly becoming pseudo Chinese production centre.
- xii. Export orientation of exporters: In the event of cessation of duty, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices, considering the fact that anti-dumping duties are already in force on the Chinese product in USA and EU.

- xiii. Price undercutting in the absence of measures: The dumped imports from subject country would cause significant price undercutting in the absence of anti-dumping duty. Should the present anti-dumping duty cease, there is a chance of likelihood which may result in price undercutting later.
- xiv. Price attractiveness of Indian market: The prices at which subject goods are being exported to third countries are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters from the subject country would further channelize their output in the Indian market in view of significant capacity with it. This indicates likelihood of injury to the domestic industry.

Post Disclosure Comments/Submissions by Domestic Industry

38. The Authority notes that neither any exporters/producers from the Subject Country nor any importers/users and other interested parties have participated in this investigation. Only the Domestic Industry has submitted the post Disclosure Statement submissions which are repetitive and have already been dealt with by the Authority. In brief, the submissions are as under:

- i. With regard to the Authority's observation that the domestic industry has not furnished the requisite data / information for verifying Non-Injurious Price (NIP) claimed by them, it is submitted that all applicant companies fall within definition of "small enterprise" and the domestic industry has provided all information required for verification to the best of its ability.
- ii. Imports from China remained low only after imposition of antidumping duty. The landed price of imports is not indicative of likely prices as the volume of import is low. The average third country export prices of China are below the level of cost of sales and selling price which indicates that in the event of cessation of duty there is likelihood of intensified imports at prices that is likely to significantly undercut/undersell the domestic industry's prices. The landed price of imports is above the selling price and non-injurious price of the domestic industry. These prices reflect only granular form of subject goods. These prices of granular form of subject goods are not proper reflective of price impact of subject imports. The domestic industry made losses in the POI. Cash profits and return on capital employed in the POI also have declined. The return on investment remains much below the reasonable level.
- iii. The Authority concluded that there is no likelihood of injury to the Domestic Industry if the current duty levied on the imports of the subject goods from the subject country ceases. The domestic industry briefly submits that there was significant dumping margin in all past investigations; whenever the volume of imports was significant, the dumping margin was significant. This clearly shows likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti-dumping duty. The US and EU have imposed duties on imports of subject goods since 2003 and 2005. Both countries have conducted two review investigations and have extended antidumping duties on the ground of likelihood of dumping and injury. The known capacities with the Chinese producers are way beyond Chinese demand. Huge capacity signifies potential dumping into the Indian market in the event of cessation of the antidumping duties. The European Commission in its last conducted review found that the declared production capacity amounted cumulatively to a yearly capacity of at least 428000 tonnes which was about three times the total world trade of barium carbonate in 2015. The US Commission in second review in 2015 also concluded that the producers in China hold significant capacities and are highly export oriented. Chinese producers also have capacity much beyond their demand. The European Commission in its last conducted review found that available spare capacities in China were significant to the tune of around 280000 tonnes. Such surplus capacity represents more than four times the total India consumption during the current review investigation period. The producers/exporters in subject country are highly export oriented. Considering the significant capacity held by China with their export orientation and anti-dumping duty in force on the Chinese product under consideration in EU and USA, it is extremely likely that in the event of cessation of anti-dumping duties, the exporters from China PR will increase their exports to India at dumped prices. Producers and exporters from China PR are exporting the subject goods at dumping prices in other countries' markets.

- iv. The expression public interest does not limit itself to the consumer industry alone and is in fact a much wider term which covers in its ambit the domestic industry as well. It is well known that all the applicants are small scale producer of subject goods in India. In an event where the injury to domestic industry is likely to recur in all probability and non-continuation of duties may lead to worsening condition of the industry and the Indian industry may have to shut down, as a result of which the users of the product under consideration may become wholly dependent on imports. Therefore, it is essential that the domestic industry is seen under the ambit of public interest.
- v. Therefore, the Authority is requested to conclude that there is a likelihood of injury to the domestic industry if duties are not extended and recommend continued imposition of definitive anti-dumping duties on imports from subject country for a further period of 5 years to provide a level playing field to the domestic industry.

Examination by Authority

- 39. The Authority has examined the post Disclosure Statement comments by the Domestic Industry and noted that the submissions are repetitive. Still, the Authority has examined the post Disclosure Statement comments.
- 40. The Applicants themselves provided the evidence that there is nil import from the subject country during 2017-18 and 2018-19, and even during the POI, the imports are miniscule. It is seen that during the last five years, overall import volume is nil or significantly low in absolute terms and almost nil in terms of market share.
- 41. It is apparent that the anti-dumping duty that has been levied and the overall performance of various economic parameters and financial position of the Domestic Industry seems very good. The Applicants have admitted that there is nil price undercutting and further that the imports are not having any suppressing or depressing effect on the prices of the Domestic industry. The Domestic Industry has not suffered injury on account of imports of the subject goods. The non-injurious price estimated for the domestic industry has been compared with the landed price of imports and it is seen that injury margin is negative.
- 42. The only issue raised by the Applicants is the export potential and excess capacity of China which may result in increase of the imports into India due to likelihood in case the measures are discontinued. However, no substantial evidence for analysing the likelihood in terms of excess capacity in China has been furnished by the Applicants. Therefore, likelihood of injury has not been conclusively established by the Applicants.
- 43. The Authority notes that post-disclosure comments/submission made by the Domestic Industry are mostly reiterations of earlier submissions, which have already been examined suitably and adequately and appropriately addressed in the disclosure statement or relevant paras of the present finding. The authority further considers as follows with regard to issues raised by the interested parties:

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:

- 44. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

Conclusions

- 45. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

- i. It is seen that during the last five years, overall import volume of the subject goods from the subject country is nil or significantly low in absolute terms and almost nil in terms of market share.
- ii. The Applicants have admitted that there is nil price undercutting and further that the imports are not having any suppressing or depressing effect on the prices of the Domestic industry.
- iii. The Domestic Industry has not suffered injury on account of imports of the subject goods. The injury margin is negative.
- iv. No substantial evidence for analysing the likelihood in terms of excess capacity in China has been furnished by the Applicants. Therefore, likelihood of injury has not been conclusively established by the Applicants.
- v. Therefore, it is concluded that the Domestic Industry has neither suffered injury on account of imports of the subject goods, nor is there any likelihood of injury to the Domestic Industry if the current duty levied on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country ceases.

Recommendations

46. Having observed that the existing anti-dumping duty is in existence since 23rd March, 2010, the Authority considers it necessary and recommends immediate ceasing of antidumping duty on import of subject good from the subject country recommended vide Notification No. 15/27/2014-DGAD dated 23rd February, 2016 and enforced vide Customs Notification No. 14/2016-Customs (ADD) dated 21st April, 2016 which was further extended vide Customs notification No22/2021–Customs (ADD) dated 15th April, 2021 till 20th October, 2021.

Further Procedures

47. An appeal against the order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority